

**भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

28 मार्च 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – फरवरी 2024

फरवरी 2024¹ महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, [विवरण I और II](#) में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण² में फरवरी 2024³ में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले यह 15.9 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण³ के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि फरवरी 2024 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत रही (एक साल पहले 15.0 प्रतिशत)।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण फरवरी 2024 में 8.6 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा, जो फरवरी 2023 में 6.8 प्रतिशत था। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण', 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) फरवरी 2024 में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'मूल धातु और धातु उत्पाद', एवं 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में फरवरी 2024 में 21.2 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई (एक साल पहले 20.5 प्रतिशत)। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, फरवरी 2023 की तुलना में फरवरी 2024 में 'व्यापार' और 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा' हेतु प्रदत्त ऋण की वृद्धि (व-द-व) में सुधार हुआ जबकि 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' के मामले में गिरावट आई।
- वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि, वाहन ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में कमी आने की वजह से, फरवरी 2024 (एक साल पहले 20.6 प्रतिशत) में घटकर 18.1 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/2139

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

¹ आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार से संबंधित हैं।

² खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुरुवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

³ किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।